

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2023

नाबालिग लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने व दबाव बनाकर शारीरिक शोषण करने के वांछित अभियुक्त—रिंकू उर्फ सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को०नगर क्षेत्र की रहने वाली लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गया था थाना उसके साथ शारीरिक शोषण किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की मां द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रिंकू उर्फ सूरज पुत्र पप्पू उर्फ संतोष निं० शुद्धीखलगा मथुरा चौबे थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—७५७ / 23, धारा 376,328,366,370 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० महेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2023

नशीली गोलियों के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अहिरनपुरवा चौराहा से पयागपुर जाने वाली सड़क से अभियुक्त पिन्टू दीक्षित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 180 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पिन्टू दीक्षित पुत्र सरवर लाल दीक्षित नि0 ग्राम भटपुरवा मौजा देवापसिया थाना कटरा बाजार गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—447 / 23, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 180 अदद अल्प्राजोलम टेबलेट।

अभियुक्त पिन्टू का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—104 / 2018 धारा 379,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—162 / 2018 धारा 457,380 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—174 / 2018 धारा 380,457,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—348 / 2018 धारा 380,457,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—173 / 2020 धारा 3 / 25 आम्स्र्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0—379 / 2021 धारा 3 / 25 आम्स्र्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0—172 / 2022 धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0—38 / 2023 धारा 60 आबकारी अधिरो थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 श्री अरुण कुमार गौतम मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2023

चेन स्नैचिंग करने की दो महिलाएं गिरफ्तार, सोने की चेन बरामद—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरों/चेन स्नैचिंग करने वाले अभियुक्तों/महिलाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में चेन स्नैचिंग करने की 02 शातिर महिला—01. गीता देवी, 02. गुड़डी देवी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चेन स्नैचिंग की गयी सोने की चेन बरामद किया गया। दिनांक 28.08.2023 को वादी विनोद कुमार सिंह पुत्र चन्द्रिका सिंह ग्राम माथेपुर पो0 बनकटवा देहात थाना वजीरगंज द्वारा थाना को0 नगर में चेन स्नैचिंग की घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तागण—

01. गीता देवी पत्नी राजू निवासी ग्राम कोहरी कोहरा थाना गोला बाजार जिला गोरखपुर।
02. गुड़डी देवी पत्नी महेन्द्र निवासी ग्राम कोहरी कोहरा थाना गोला बाजार जिला गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—0756 / 2023 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना नगर कोतवाली जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद पीली धातु की चेन ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- उ0नि0 पिंटू कुमार यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2023

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान महिला के साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त—ऋषिकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ शौच के दौरान दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. ऋषिकेश यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव नि0 गोपालपुर परास पट्टी पुरवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—285 / 23, धारा 376,504,506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 अश्वनी कुमार मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.08.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना तरबगंज पुलिस ने 01 व थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.08.2023

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम तालागंज ग्रन्ट शेखपुर से जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त अंकित वर्मा उर्फ विक्रम पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 31.01.2023 को अपने परिजनों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते वादी प्रदीप कुमार वर्मा व उसके भाई मनोज कुमार को बलवा करते हुए लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के भाई को गम्भीर चोटे आयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अंकित वर्मा उर्फ विक्रम पटेल पुत्र रामसुरेश वर्मा नि0 ग्राम तालागंज ग्रन्ट शेखापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु030सं0—25 / 23, धारा 147,148,149,323,504,506,325,308,307,120बी भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।